वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015

The Commercial Courts Act, 2015

Act No. 4 of 2016

- It shall be deemed to have come into force on third day of October, 2015.
- Total 07 Chapter and 23 Sections

- **Commercial Act के सम्बंध में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–**

1) Commercial Courts Act किन मामलों में लागू होता है।
2) Commercial Courts Act में Filling का Proceeding कैसा होता है।
3) Commercial Courts and Civil Court में क्या अन्तर होता है।
4) Commercial Courts में Filling कहॉ होती है और Filling के समय क्या–क्या सावधानियॉ बरतनी चाहिये।

1- Commercial Courts Act किन विषयों पर लागू होता है?

- इस सम्बंध में वाणिजियक अधिनियम 2015 की धारा **2सी** में दिये गये विषयों पर लागू होता है। जैसे–

I. Business Transaction

II. Bankers Transaction

III. Financial Transaction

IV. Agreement से सम्बंधित संव्यवहार

V. Export or Import of ---------- XXII

परन्तु यदि उपरोक्त विषय में पक्षकारों द्वारा उक्त करार में Arbitation Clause डाल दिया जाता है तो विवाद का निस्तारण Arbitation Act के द्वारा ही होगा।

परन्तु Arbitation Act में पीड़ित पक्षकार केवल Award को अपास्त कराने के लिये धारा 34 में जा सकता है। उसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में जाकर पक्षकार पुनः Arbitation की नियुक्ति कराते हैं और फिर मध्यस्थता कराते हैं इस प्रकार यह प्रक्रिया अनन्तकाल तक भी चल सकती है। इसी कारण से वर्तमान में Commercial Courts में मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके इस पर जोर दिया जा रहा है।

2- Commercial Courts Act में फाईलिंग का प्रोसिडिंग कैसा होता है?

फाईल करने का प्रासेस –

- State की Legal Sevice Authority में
- Form Fill करना है।
- Prescribed fee के जमा करना है।
- Brief में Fact को अंकित करना है।
- Both Parties (Plaintiff and Defendant) का Full Address.

Authorites Defendant को Notice भेजती है कि आपके विरूद्ध एक केस फाईल हुआ है।

a) या तो आप जवाब दाखिल करें।

b) समझौते से सम्बंधित बातचीत करें।

Note– Authority 2-3 दिन बाद विपक्षी को नोटिस भेजेगी।

नोटिस मिलने के बाद भी यदि Defendant नहीं आता है तो यह Authority Non-Starter Report Issue करेगी।

Note- Pre Mediation लागू नहीं जो कि Mandatory condition है।

- Commercial Courts Act के तहत case file कर सकते हैं।
- यदि प्रतिवादी/विपक्षी पक्ष अपनी propety हटा देगा, भाग जायेगा, स्थानान्तरण कर देगा तो Claimant एक application लगा कर prelitigation से छूट पा सकता है। (Section 12-A)

3- Civil Suit and Commercial Suit में अन्तर –

- Civil Suit के अन्तर्गत किसी भी मूल्य की धनराशि Transaction के लिए सिविल कोर्ट में Civil Suit दाखिल किया जा सकता है। जबकि Commercial Suit 3 लाख तथा उसके उपर वाली धनराशि के लिये केस फाईल किया जा सकता है।

- यदि Commercial Courts Act की धारा 2सी में जो वर्णित विषय हैं उसका Jurisdiction Commercial Courts का होगा परन्तु कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त विषय से सम्बंधित वाद दीवानी न्यायालय में दाखिल करता है तो उसके सम्बंध में Commercial Courts Act की धारा 11 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन किया गया है।

4- Commercial Courts में फाईलिंग कहॉ होती है और फाईलिंग के समय क्या–क्या सावधानियॉ बरतनी चाहिये।

i. Commercial Courts Act 2015 की धारा 2(c) के तहत मामला आता है।

ii. Amount Specify करना है।

iii. Court Fees

iv. Statement Affidavit Plaintiff के नाम से होता है otherwise case maintanable नहीं होगा।

v. List of Document in prescribed format में होना चाहिए।

vi. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65बी के तहत Declaration होना जरूरी है।